

असाधारण आम बैठक

सोमवार 25 मार्च, 2019 प्रातः 11.00 बजे

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Monday March 25, 2019 11.00 A.M.

प्रधान कार्यालयः स्टार हाउस, सी-5 'जी' ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051



HEAD OFFICE:

STAR HOUSE, C-5, 'G' BLOCK BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (EAST), MUMBAI - 400 051



सूचना

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक **सोमवार 25 मार्च, 2019 को सुबह 11.00 बजे** बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक,बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई-400 051 में निम्नलिखित विशेष कारोबार करने के लिए की जाएगी:

मद सं. १ - प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और उपयुक्त पाए जाने पर पारित करने हेत्।

"संकल्प किया जाता है कि इस संबंध में भारत सरकार के अनुमोदन की शर्त के अध्यधीन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतराल) अधिनियम 1970 के प्रावधान 3(2ए), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एण्ड मिटिंग्स) विनियमन, 2007 के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई) के अनुमोदन, सहमित, मंजूरी, यिद कोई है, के अध्यधीन और अन्य लागू प्रावधान, यिद कोई है (उसमें किए गए संशोधन या उसका पुनः अधिनियमन शामिल) और उसके तहत बनाए गए नियमों, योजनाओं, परिपत्रों के अनुसार बैंक के शेयरधारक एतदद्वारा सहमित देते हैं कि बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी मौजूदा ₹3000,00,000 (रुपए तीन हजार करोड़) जो 300,00,00,000 (तीन सौ करोड़) ₹ 10/- प्रत्येक के शेयर में विभाजित है को ₹ 6000,00,000,000 (रुपए छह हजार करोड़) जो 600,00,00,000 (छह सौ करोड़) ₹10/- प्रत्येक के शेयर में विभाजित जिसे ₹10/- प्रत्येक के अतिरिक्त 300,00,00,000 (तीन सौ करोड़) शेयर स्जित करके किया जाएगा जो सभी संदर्भ में बैंक के मौजूदा शेयर्स के रैकिंग के समरूप होगा।

मद सं. २ - अधिमानी आधार पर भारत सरकार (प्रवर्तक) को शेयर जारी करना

निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में विचार करना तथा यदि उचित समझा जाता है तो उसे पारित करना।

"यह संकल्प िकया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्ज़न एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम),1970 एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदनों, सम्मितयों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यधीन एवं ऐसी शतोंं, निबंधनों और आशोधनों के अध्यधीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमित प्रदान की जाए तथा इन विनियमों यथा सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन, 2018 [सेबी-(आईसीडीआर) विनियमन],भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियमन, 2011, सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अध्यधीन और सभी अन्य संगत प्राधिकरणों से समय-समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इिक्वटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमित है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक बोर्ड (इसके पश्चात इसे ''बोर्ड'' कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को सहमित प्रदान की जाती है कि वे भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर कुल ₹ 4638 करोड़ तक सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनिमय 164 के अनुसार निर्धारित ₹79.60 प्रति इक्विटी शेयर्स के प्रीमियम सहित ₹89.60 प्रति इक्विटी शेयर पर नकद हेतु ₹ 10/- प्रत्येक (रुपये दस केवल) के 51, 76, 33, 928 तक के इक्विटी शेयर्स सृजित, ऐश, जारी और आबंटित किया जाए।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मुल्य (इश्यू प्राइस) के निर्धारण की संबंधित तारीख शुक्रवार, 22 फरवरी, 2019 है।

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे प्राधिकरणों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सम्मितयां, अनुमितयां और स्वीकृतियां प्रदान करते/देते समय पर अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमित दी जाए।"

''आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर्स बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर के साथ समरूप रैंक के होंगे और उन सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किए गए, लाभांश, यदि कोई हो, के लिए हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय पर प्रवृत्त हों।''

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटान करे जो इिक्वटी शेयरों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मित अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया हुआ है।"

''आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और उसे एतद-द्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा किसी भी कार्यपालक निदेशकगण और बैंक के ऐसे किसी अन्य अधिकारी को, जैसा वह उचित समझे, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर दे।''

निदेशक मण्डल के आदेश से

(दीनबंधु मोहापात्रा) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई दिनांक: 26.02.2019



टिप्पणियां:

- 1. बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार शेयरधारक स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान के लिए नियुक्त कर सकता है तथा ऐसे परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। वैध एवं प्रभावी होने के लिए परोक्षी फार्म बुधवार, 20 मार्च, 2019 को बैंक के कार्य की समाप्ति अपराह्न 4.30 बजे तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में अवश्य ही प्राप्त हो जाना चाहिए।
- 2. किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति, उस बैठक जिसमें वह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य-प्रति को बैंक के क्रार्थान कार्यालय में बुधवार, 20 मार्च, 2019 को बैंक के कार्य समाप्ति अपराह्न 4.30 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो।
- 3. शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें। शेयरधारक के परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित पर्ची पर ''परोक्षी'' या ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- 4. कार्यसूची मद हेतु व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरों के अंतरण और शिकायत निवारण के लिए वे बैंक या रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स बिगशेयर प्रा.लि. को निम्नलिखित पते पर लिखें:

कंपनी सचिव

बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय,

स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक,

8 वीं मंजिल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),

मुंबई - 400 051.

फोन - 66684444

ई-मेलः Headoffice.share@bankofindia.co.in

Website: www.bankofindia.co.in

बैंक के रजिस्टार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंटस :

मेसर्स बिगशेयर सर्विसेस प्रा.लि.

यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया,

प्रथम तल, भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग, वसंत ओसिस के सामने,

मकवाना रोड, मरोल, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400 059

टेलीफोनः 022- 62638200 फैक्स : 022- 62638299

ई मेलः investor@bigshareonline.com

6. **ई वोटिंग**

बैंक सहर्ष, नोटिस में उल्लेख किए गए मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। बैंक ने मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/स्वामित्व हितधारकों का ई-वोटिंग अधिकार उनके द्वारा यथा 18 मार्च, 2019 को धारित इक्विटी शेयरों पर माना जाएगा जो इस हेतु कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख पर भौतिक अथवा डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखनेवाले शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप से डाल सकते हैं।

ई-वोटिंग अनुदेश

- i. शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार इस उद्देश्य से नियत यथा 18 मार्च, 2019 (कट-ऑफ तारीख) को बैंक के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के अनुपात में उनके द्वारा धारित शेयर के आधार पर होगा।
- ii. वोटिंग अवधि 21 मार्च, 2019 के सुबह 10.00 बजे आरंभ होगी और 24 मार्च, 2019 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। सीएसडीएल द्वारा उसी दिन शाम 5.00 बजे ई-वोटिंग मोड्यूल को डिसेबल कर दिया जाएगा।
- iii. शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.comपर लॉग-ऑन करना होगा।
- iv. shareholders पर क्लिक करें।
- v. अब अपने यूजर आईडी की प्रविष्टि करें।
 - (ए) सीडीएसएल के लिए : 16 डिजिट की बेनिफिशिएरी आईडी
 - (बी) एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लायंट आईडी
 - (सी) जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों उन्हें बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करनी होगी।
- vi. डिस्प्ले किए गए वेरिफिकेशन इमेज की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
- vii. यदि आपके पास डीमैट स्वरूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.comपर लॉग-ऑन किया हो और किसी कंपनी/निकाय पर वोट किया हो, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।



viii. यदि आप पहली बार ई वोटिंग कर रहे हों तो निम्नलिखित का पालन करें :-

	डीमैट और भौतिक स्वरूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए			
पैन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी अपने 10 डिजिट के अल्फ़ा न्यूमेरिक पैन (PAN) की प्रविष्टि करें (डीमैट एवं भौतिक स्वरूप में शे रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू)			
(I AIN)	• जिन सदस्यों ने बैंक/डिपॉजिटरी प्रतिभागी में अपना पैन (PAN) अपडेट न किया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले के दो अक्षर और अपने पैन (PAN) के 8 अंकों का सीक्वेन्स नंबर सूचित करें।			
	• यदि सीक्वेन्स नंबर, 8 अंकों से कम अंकों का हो तो नाम के पहले दो अक्षरों (बड़े अक्षरों में) के बाद उस नंबर से पहले आवश्यक संख्या में '0' जोड़ें। अर्थात यदि आपका नाम Ramesh Kumar है और सीक्वेन्स नंबर 1 है तो पैन (PAN) फील्ड़ में RA0000001 लिखें।			
जन्मतिथि (DOB)	उक्त डीमैट खाते या फोलियो के लिए dd/mm/yyyy प्रारूप में आपके डीमैट या बैंक अभिलेख में उल्लिखितानुसार जन्म तिथि की प्रविष्टि करें।			
लाभांश बैंक	आपके डीमैट खाते में या बैंक अभिलेख में उक्त डीमैट खाते या फोलियो हेतु रिकॉर्ड किए गए लाभांश बैंक ब्यौरों की प्रविष्टि करें।			
विवरण	• लॉगिन करने के लिए कृपया डीओबी या लाभांश बैंक ब्यौरों की प्रविष्टि करें। यदि ब्यौरे डिपॉजिटरी या बैंक में ब्यौरे रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो, कृपया अनुदेशों (v) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक ब्यौरों के फील्ड़ में मेम्बर आईडी/फोलियो नंबर का उल्लेख करें।			

- ix. इन ब्यौरों की उचित प्रविष्टि के पश्चात 'SUBMIT' पर क्लिक करें।
- X. जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों वे सीधे 'Bank selection' स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तथापि, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'password creation' मेन्यू में पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों को किसी अन्य कंपनी/निकाय के संकल्प हेतु वोटिंग करने के लिए भी इसी पासवर्ड का प्रयोग करना होगा बशर्ते वह कंपनी/निकाय सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुने। विशेष रूप से यह सलाह की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी और को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।
- xi. जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों, उन ब्यौरे का उपयोग केवल इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग हेतु किया जा सकता है।
- xii. संगत <Company Name>जिस पर आप वोट करना चाहें, हेत् EVSN पर क्लिक करें।
- xiii. वोटिंग पृष्ठ पर आपको 'Resolution Description' दिखेगा और उसी विकल्प के सामने वोटिंग हेतु 'Yes/No' दिखेगा। इच्छानुसार 'Yes' या ' No' विकल्प चुनें। 'Yes' विकल्प चुनने से तात्पर्य है कि आप इस संकल्प से सहमत हैं और 'No' विकल्प मतलब आप इस संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- xiv. यदि आप संकल्प के पूर्ण ब्यौरे देखना चाहें तो 'RESOLUTIONFILE LINK' पर क्लिक करें।
- xv. आप ने जिस संकल्प पर वोट करने का निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात 'SUBMIT' पर क्लिक करें। एक 'confirmation box' प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने नोट की पुष्टि करना चाहें तो 'OK' पर क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।
- xvi. संकल्प पर अपने वोट को CONFIRM करने पर आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- xvii. आपके द्वारा की गई वोटिंग का प्रिंट आउट निकालने हेतु आप वोटिंग पेज पर 'click here to print' विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।
- xviii. यदि डीमैट खाता धारक पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज नोटिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करें और 'Forget Password' पर क्लिक करें और सिस्टम जो ब्यौरे मांगे उनकी प्रविष्टि करें।
- xix. गैर-एकल शेयरधारकों और अभिरक्षकों हेतू नोट
 - गैर एकल शेयर धारक (अर्थात एकल व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और अभिरक्षक को <u>www.evotingindia.com</u> पर लॉग ऑन करना होगा और कॉरपोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा।
 - संस्था का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> को ईमेल की जानी चाहिए जिसकी प्रतिलिपि scrutinizer@snaco.net को भेजी जाए।
 - लॉग इन ब्योरा प्राप्त करने के पश्चात एडिमन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित करना होगा।
 अनुपालन यूजर उन खातों को लिंक कर सकेगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
 - खाते की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.comको मेल की जाए और खातों के अनुमोदन होने पर वे अपना वोट दे सकेंगे।



- बोर्ड संकल्प और पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) जो अभिरक्षक के पक्ष में उन्हें जारी की गयी है, उसकी स्कैन प्रति, यदि कोई हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सिस्टम में अपलोड करना होगा ताकि स्क्रूटिनाइजर इसकी जांच कर सके। ई-वोटिंग के संबंध में यदि कोई प्रश्न या समस्या है तो आप अक्सर पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू) और www.evotingindia.comमें उपलब्ध हेल्प खण्ड के तहतई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@ cdslindia.comको ई मेल लिख सकते हैं।
- xx. बहु फोलियो/डीमैट खाता धारित शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए पृथक रूप से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे। तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार भारत सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक केवोटिंग अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।
- xxi. रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।
- XXII. कृपया नोट करें कि एक बार वोट देने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते या आप असाधारण आम बैठक में वोट नहीं दे सकते हैं। तथापि आप बैठक में उपस्थित रह सकते हैं और विचार-विर्मश, यदि कोई हो, में सहभागिता कर सकते हैं।
- xxiii. आप फोलियो में यूजर प्रोफाइल विवरण में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन कर सकते हैं जिसका उपयोग भविष्य में संसूचनाएं भेजने के लिए किया जाएगा।

8. बैठक में मतदान

कार्यसूची मद पर चर्चा के पश्चात अध्यक्ष महोदय कार्यसूची के मद के संबंध में मतदान का आदेश देंगे। बैठक में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं दिया है, वे बैठक में मतदान के जरिए अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस प्रयोजन हेतु नियुक्त स्क्रूटिनाइज़र के तहत मतदान का आयोजन और पर्यवेक्षण किया जाएगा। मतदान पूरा होने के बाद अध्यक्ष महोदय बैठक की समाप्ति की घोषणा करेंगे।

 मतदान के परिणाम के साथ रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम को जोड़कर परिणाम की घोषणा बैंक अपनी वेबसाइट पर करेगा और स्टॉक एक्सचेजों को भी सूचित किया जाएगा।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(दीनबंधु मोहापात्रा) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई दिनांक: 26.02.2019



व्याख्यात्मक विवरण

सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय V के संदर्भ में अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण और डिस्क्लोजर

मद संख्या 1

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम - 1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूंजी रुपये तीन हजार करोड़ है जो ₹ दस प्रत्येक के तीन सौ करोड़ के संपूर्ण प्रदत्त शेयरों में विभाजित है।

बैंक की वर्तमान चुकता पूंजी ₹ 2696.73 करोड़ है और मद सं2 में उल्लेखित प्रस्तावित निर्णय के पश्चात यह काफी बढ़ सकता है। अतः भविष्य में बैंक की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राधिकृत पूंजी को ₹ 3000 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 6000 करोड़ करने का प्रस्ताव है।

यह संकल्प भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद और / या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम-1970 और उसके तहत योजना/नियमों में आवश्यक संशोधन करने के बाद ही प्रभावी होगा।

मद संख्या 2

- बैंक, बैंकिंग व्यवसाय एवं इससे संबंधित गतिविधियों का कारोबार करता है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी ₹ 3000 करोड़ है और आज की तिथि में बैंक की चुकता इिक्वटी शेयर पूंजी ₹2696.73 करोड़ है। बैंक अधिकृत पूंजी में बढ़ोतरी के लिए आवेदन किया है।
- वर्तमान में हमारे बैंक में भारत सरकार की शेयर धारिता ₹2402.06 करोड़ है, जो बैंक की कुल चुकता पूंजी का 89.07% है। 31 दिसंबर, 2018 को से जोखिम भारित आस्तियां पूंजीगत निधि निम्नानुसार हैं:

विवरण	राशि करोड़ रुपये में	बासेल-॥ के तहत जोखिम भारित आस्तियों में पूँजी निधियों का प्रतिशत
जोखिम भारित आस्तियां	2,97,023	
कॉमन इक्विटी कैपिटल (सीईटी-1)	27,039	9.10
अतिरिक्त टियर-। पूंजी	405	0.14
टियर-। पूंजी	27,444	9.24
टियर -॥ पूंजी	9600	3.23
कुल पूंजी	37,044	12.47

- 3. बैंक पिछले कई वर्षों से कर्मठतापूर्वक और सावधानीपूर्वक वृद्धि दर्ज कर रहा है और निरंतर वृद्धि के लिए लंबी अविध की पूंजी की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य हेतु बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2018 और यथा संशोधित विनियम के अनुसार भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम के जरिए फ़ंड जुटाने का प्रस्ताव करता है।
- 4. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने प्रेस नोट दिनांक 31.01.2019 को बैंक को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा (पी.सी.ए.) की अपेक्षाओं से मुक्त किया है। उसके पश्चात भारत सरकार ने 19 फरवरी, 2019 के अपने पत्र के जरिए सरकार के निवेश के रूप में योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आबंटन में केंद्र सरकार के योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपित द्वारा ₹ 4638 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। सरकार ने 21 फरवरी, 2019 को बैंक के भारतीय रिज़र्व बैंक खाते में राशि जमा कर दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 दिसंबर, 2018 के अपने पत्र में बैंक के द्वारा शेयर जारी करने की सामान्य अनुमित दे दी है।
- 5. वर्तमान संकल्प इसलिए प्रस्तावित किया गया है ताकि बैंक का निदेशक मंडल उपर्युक्त अधिमानी निर्गम एवं आबंटन कर सके।
- 6. प्रस्तावित अधिमानी निर्गम के उद्देश्यः

अर्जित पूंजी का प्रयोग, बैंकों की पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने और बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

7. ऑफर सब्सक्राइब करने के लिए निर्गम के प्रवर्तकों/निदेशकों/मुख्य प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्तावः

बैंक के प्रवर्तक - अर्थात् भारत सरकार के अलावा किसी भी निदेशक अथवा मुख्य प्रबंधन व्यक्तियों ने इक्विटि शेयरों के निम्नलिखित ऑफर को लेने का इरादा व्यक्त नहीं किया है।

8. प्रस्तावित अधिमानी प्रस्ताव के पूर्व व पश्चात शेयर होल्डिंग पैटर्नः

विवरण	निर्गम से पूर्व		शेयरों का प्रस्तावित	निर्गम के	पश्चात
	शेयरों की संख्या	धारण का %	आबंटन (अनुमानित)	शेयरों की सं.*	धारण का %*
प्रवर्तक समूह भारत के राष्ट्रपति	2,40,20,56,938	89.07	51,76,33,928	2,91,96,90,866	90.83
अन्य शेयरधारक	294680296	10.93	-	294680296	9.17
कुल	2,69,67,37,234	100.00	51,76,33,928	3,21,43,71,162	100.00

भारत के राष्ट्रपति की निर्गम से पूर्व व पश्चात शेयर होल्डिंग निम्नानुसार हैः

	निर्गम से पूर्व (प्री इश्यू)		निर्गम के पश्चात (पोस्ट इश्यू)*	
	इक्विटी शेयरों की संख्या पूंजी की तुलना में प्रतिशत		इक्विटी शेयरों की संख्या	पूंजी की तुलना में प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	2,40,20,56,938	89.07	2,91,96,90,866	90.83

^{*} इस आबंटन से पहले , बैंक ईएसपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों को शेयर आबंटित करेगा और इस से स्थिति में तदनुसार परिवर्तन हो सकता है।



- 9. **समयावधि, जिसके अंदर यह अधिमानी निर्गम (preferential Issue) पूर्ण कर दिया जाएगाः बैंक सेबी आईसीडीआर विनियम में निर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर इश्यू निर्गम प्रक्रिया पूरा करने का प्रयास करता है।**
- 10. निर्गम के पश्चात प्रबंधन में कोई परिवर्तन :

बैंक के प्रवर्तक होने के नाते भारत सरकार, बैंक पर अपना नियंत्रण जारी रखेगी और प्रस्तावित अधिमानी आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन/बैंक पर नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

11. प्रस्तावित अधिमानी निर्गम (इश्यू) का मूल्य निर्धारण :

निर्गम का मूल्य, अद्यतन संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आईसीडीआर) विनियमन के अध्याय VII में उल्लिखित अधिमानी निर्गम(इश्यू) हेतु यथा लागू विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

12. सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्रमाणनः

मेसर्स चतुर्वेदी एवं कम्पनी सनदी लेखाकार, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने यह प्रमाणित किया है कि शयरों का निर्गम सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अनुसार किया जा रहा है। उपर्युक्त प्रमाणपत्र की प्रति बैंक की असाधारण आम बैठक, दिनांक 25 मार्च, 2019 में उपलब्ध होगी।

- 13. लॉक-इन अवधिः
 - क) अधिमानी निर्गमों के लिए सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिमानी आधार पर प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार को जारी किए जाने हेतु प्रस्तावित शेयर, ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष तक लॉक-इन अविध के अध्यधीन रहेंगे।
 - ख) भारत सरकार की संपूर्ण पूर्व-अधिमानी धारिता को,संदर्भ तारीख से शुरु होकर स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदत्त ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 6 महीनों तक की अवधि के लिए लॉक किया जाएगा।
- 14. अधिमानी इश्यू के बाद नैसर्गिक व्यक्तियों की पहचान जिन्हें प्रस्तावित शेयर अलॉट किया जाना है जो इसके अंतिम लाभार्थी/स्वामी है और/ या जो प्रस्तावित आबंटितियों पर अंतिम नियंत्रण रखेंगे, उनके द्वारा रखी जानेवाली अधिमानी इश्यू के बाद पूँजी का प्रतिशत एवं जारीकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो तोः

चूँकि बैंक का अंतिम लाभार्थी मालिक भारत सरकार है, अतः वास्तविक व्यक्ति की पहचान नहीं दी जा सकती।

चूँकि सम्पूर्ण इश्यू बैंक के प्रमुख शेयरधारक और प्रवर्तक, भारत सरकार (जीओआई) को किया जाना है इसलिए इश्यू के बाद में नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

15. वचन पत्र की जारीकर्ता इन विनियमों के प्रावधान के अंतर्गत जहाँ आवश्यक हो मूल्य की पुर्नगणना करेगा :

चूँकि प्रासंगिक तारीख के 26 सप्ताह पूर्व से अधिक अविध के लिए बैंक के इक्विटी शेयर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं इसलिए बैंक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रति इक्विटी शेयर मूल्य की पुनः गणना करे तथा इसलिए आईसीडीआर विनियम के विनियम 163 में निर्धारित घोषणा को जमा करना बैंक के लिए आवश्यक नहीं है।

- 16. चूँकि सभी शेयर भारत सरकार (जीओआई) को जारी किया जाना है इसलिए सेबी (पूंजी का इश्यू और अपेक्षाओं का प्रकटीकरण) की अनुसूची VI में बताए अनुसार प्रकटन लागू नहीं है।
- 17. बैंक इक्विटी शेयर की लिस्टिंग के लिए जहाँ बैंक के वर्तमान शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन करेगा। आबंटित हो जाने पर ऐसे शेयर बैंक के तब के इक्विटी शेयर से लाभांश सहित सभी सम्बन्धों में समरूप होंगे।
- 18. **अन्य आवश्यकताएं**

भारत सरकार (जीओआई) द्वारा रखे गए सभी शेयर डिमेटकृत रूप में रखे गए हैं और बैंक स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट में निर्दिष्ट किए अनुसार ईक्विटी शेयरों को निरन्तर सूचीबद्ध रखने की शर्त का अनुपालन करता है। भारत सरकार (जीओआई) ने पूर्ववर्ती संबंधित तारीख से पहले के 6 माह के दौरान बैंक के कोई भी इक्विटी शेयर नहीं बेचे हैं।

- (i) बैंक का कोई भी निदेशक या प्रवर्तक इरादतन चूककर्ता के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है।
- (ii) बैंक का कोई भी निदेशक या प्रवर्तक भगोडा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया गया है।

सेबी [सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं (''आईसीडीआर'')] विनियम, 2015 तथा सेबी [पूँजी इश्यू तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं (''आईसीडीआर'')] विनियम, 2018 के अनुसार पूर्वोक्त एजेंडा के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है।

आपके निदेशक नोटिस में दिए गए विशेष संकल्प की संस्तृति करते हैं।

बैंक के कोई भी निदेशकगण/बैंक के मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति/उनके संबंधी इस नोटिस के संकल्प (पों) में उसी सीमा तक संबंधित या हितबद्ध माने जाएंगे जिस सीमा तक इस बैंक में उनकी शेयरधारिता है।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(दीनबंधु मोहापात्रा) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई दिनांक: 26.02.2019



NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Bank of India will be held on Monday, **25 March, 2019 at 11.00 AM** at Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051 to transact the following **special business**:

Item No. 1: Increase in Authorised Capital

To consider and if thought fit, to pass, the following resolution as a Special Resolution.

"RESOLVED THAT subject to approval of Government of India, in this regard, pursuant to the provisions of 3 (2A) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI) and other applicable provisions, if any, (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and the rules , schemes, circulars framed there under, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to increase the Authorized Share Capital of the Bank from existing ₹ 3000,00,00,000 (Rupees Three Thousand Crore) divided into 300,00,00,000 (Three Hundred Crore) Shares of ₹ 10/- each to ₹ 6000,00,00,000 (Rupees Six Thousand Crore) divided into 600,00,00,000 (Six Hundred Crore) Shares of ₹ 10/- each by creation of additional 300,00,00,000 (Three Hundred Crore) Shares of ₹ 10/- each ranking pari passu in all respect with the existing Shares of the Company.

Item No.2: Issue of Shares to Government of India (Promoters) on Preferential Basis.

To consider and if thought fit, to pass, the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 [SEBI (ICDR) Regulations], Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 and regulations as may be prescribed by RBI and other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot upto 51,76,33,928 equity shares of ₹10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹89.60 per equity share including premium of ₹79.60 per equity share as determined in accordance with Regulation 164 of SEBI ICDR Regulations aggregating upto ₹ 4638 Crore on preferential basis to Government of India (President of India)."

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is Friday, February 22, 2019"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or any of the Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board

(Dinabandhu Mohapatra) Managing Director & CEO

Notes:

Place: Mumbai Date: 26.02.2019

1. A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER. PROXY FORMS IN ORDER TO BE VALID AND EFFECTIVE MUST BE DELIVERED AT THE HEAD OFFICE OF THE BANK ON OR BEFORE THE CLOSING HOURS OF 4.30 P.M. ON WEDNESDAY 20TH MARCH 2019.



- 2. No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank on or before the closing hours of 4.30 P.M. on Wednesday 20th March 2019.
- 3. For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.
- 4. The explanatory statement to the items on the agenda is annexed hereto.
- 5. The shareholders are requested to write to the Bank or to the Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd. regarding transfer of shares and for resolving grievances at the below address:

The Company Secretary Bank of India, Head Office, Star House, C – 5, 'G' Block 8th Floor, Bandra Kurla complex,

Bandra (East), Mumbai 400 051 **Phone: 66684444.**

Email: headoffice.share@bankofindia.co.in

Website: www.bankofindia.co.in

Bank's Registrar and Share Transfer Agents:

M/S Bigshare Services Pvt. Ltd.

Unit: Bank of India

1st Floor, Bharat Tin Works Building,

Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (East),

Mumbai - 400 059 Phone: 022-62638200 Fax-022-62638299

Email: investor@bigshareonline.com

6. E-Voting

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank has appointed M/S S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co. Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on 18th March, 2019 being the Cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

7. E-voting Instructions

- (i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on 18th March, 2019 (Cut-off Date) fixed for the purpose.
- (ii) The voting period will commence at 10.00 a.m. on 21st March 2019 and will end at 5.00 p.m. on 24th March 2019. The e-voting module shall be disabled by CDSL at 5.00 p.m. on the same day.
- (iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iv) Click on shareholders
- (v) Now enter your User ID
- (a) For CDSL: 16 digit beneficiary ID
- (b) For NSDL: 8 Character DPID followed by 8 Digit Client ID
- (c) Members holding shares in physical form should enter Folio number registered with the Bank.
- (vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/ entity, then your existing password is to be used.
- (viii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat and Physical Form			
PAN	Enter your 10 digit alpha numeric `PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)			
	 Members who have not updated their PAN with the Bank/ Depository Participant are requested to us the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN Held. 			
	 In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two character of the name in CAPITAL letters. Eg, if your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA0000001 in the PAN field. 			
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.			
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio.			
	Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id/ folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v)			

(ix) After entering these details appropriately, click on 'SUBMIT' tab.



- (x) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'password creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company / entity on which they are eligible to vote, provided that company / entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (xi) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolution contained in this notice
- (xii) Click on the EVSN for the relevant < Company Name> on which you choose to vote.
- (xiii) On the voting page, you will see `Resolution Description' and against the same the option `Yes/ No' for voting. Select the option Yes or No as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiv) Click on the "RESOLUTION FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on `SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on `CANCEL' and accordingly modify your vote.
- (xvi) Once you 'CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xviii)You can also take out print out of the voting done by you by clicking on the 'Click here to print' option on the Voting page.
- (xviii) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xix) Note for Non-Individual Shareholders and Custodians
 - o Non Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - o A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk. evoting@cdslindia.com and CC to scrutinizer@snaco.net
 - o After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the accounts(s) for which they wish to vote on.
 - o The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - o A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
 - o In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com com.
- (xx) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account. However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- (xxi) The results of remote e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.
- (xxii) Kindly note that once you have cast your vote you cannot modify or vote on voting at the Extraordinary General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.
- (xxiii) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

8. Voting at the Meeting

After the agenda items have been discussed, the Chairman will order voting in respect of the items on the agenda. Shareholders attending the meeting and who have not casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their voting right at the meeting. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizer appointed for the purpose. After conclusion of the Voting, the Chairman will declare the meeting as closed.

The Results of the voting aggregated with the results of remote e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges.

By order of the Board

(Dinabandhu Mohapatra) Managing Director & CEO

Place: Mumbai Date: 26.02.2019



EXPLANATORY STATEMENT

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter V of SEBI ICDR Regulations.

Item number 1:

In terms of Section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Act- 1970, the authorized capital of the Bank is Rupees three thousand crore divided into three hundred crore fully paid shares of ₹ Ten each.

The Present paid up capital of the Bank is ₹ 2696.73 Crore and after the proposed issue as mentioned in Item no. 2 above, it may increase substantially.

Hence, it is proposed to increase the Authorized capital of ₹ 3000 Crore to ₹ 6000 Crore in order to meet future capital requirement of the Bank.

The resolution will be effective only after the receipt of approval from the Government of India and/ or necessary amendment in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Act- 1970, and Scheme/Rules made thereunder.

Item No. 2

- 1. The Bank is in the business of the banking and its related activities. At present, the Authorised Capital of the Bank is ₹ 3000 crore and the Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on date is ₹ 2696.73 Crore. Bank has applied for increase in authorised capital.
- 2. Presently, the shareholding of the Government of India in our Bank is ₹ 2402.06 Crore, which constitutes 89.07 % of total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as on 31st, December 2018 is as under:

Particulars	Amount ₹ in Crore	% of capital funds to risk weighted asset Under Basel-III
Risk Weighted Assets	2,97,023	
Common Equity Capital (CET-1)	27,039	9.10
Additional Tier-1 Capital	405	0.14
Tier-I Capital	27,444	9.24
Tier-II Capital	9600	3.23
Total Capital	37,044	12.47

- 3. The Bank has been growing very diligently and cautiously for the last many years and there is constant requirement to bring addition capital. In order to meet this growing requirement, Bank needs long term capital. The Bank proposes to raise funds by way of Preferential Issue of equity shares in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and as amended upto date to Government of India.
- 4. The Reserve Bank of India vide their press release dated 31.01.2019 has lifted the Bank out of its Prompt Corrective Action (PCA) framework thereafter. **GOI vide their letter dated February 19, 2019** has conveyed the sanction of President of India for release of ₹ **4638 Crore,** towards contribution of the Central Government in the preferential allotment of equity shares of the bank during the financial year 2018-19, under plan as Government's Investment. Government has also remitted money in the Bank's RBI Account on February 21, 2019. The Reserve Bank of India vide their letter dated December 19, 2018 given general approval for issue of shares.
- The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to make the above-mentioned preferential issue and allotment.
- 6. Objects of the proposed Preferential Issue:

The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

7. Proposal of the Promoters/ Directors/ Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:

None of the Director or Key Management Persons other than the Promoter of the Bank i.e., Government of India below intends to subscribe to the offer of equity shares.

8. Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:

	Pre Issue		Proposed	Post Issue (Approx)	
Particulars	No. of Shares	% of Holding	Allotment of Shares (Approx)	No. of Shares*	% of Holding*
Promoter Group	2,40,20,56,938	89.07	51,76,33,928	2,91,96,90,866	90.83
The President of India					
Other Shareholders	29,46,80,296	10.93	-	29,46,80,296	9.17
Total	2,69,67,37,234	100.00	51,76,33,928	3,21,43,71,162	100.00

The Pre and Post Issue shareholding of President of India is as under:-

	Pre I	ssue	Post	Issue
	No. of equity shares Percentage to Capital		No. of equity shares	Percentage to* Capital
President of India	2,40,20,56,938	89.07	2,91,96,90,866	90.83

^{*} Before this allotment, Bank may allot share to Employees under ESPS, and accordingly, this position may undergo a change.



9. The timeline within which the preferential issue shall be completed:

The Bank endeavors to complete the Issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

10. Any Change in the Management post the Issue

Government of India, being Promoters of the Bank will continue to vests their control over the Bank and there will not be any change in the management / control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

11. Pricing of the proposed Preferential Issue:

The Issue Price has been determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations as amended upto date.

12. Certification from Statutory Auditors:

M/s. Chaturvedi & Co. Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Bank, have certified that the issue of shares is being made in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. A copy of the said certificate will be available at the Extraordinary General Meeting on March 25, 2019.

13. Lock-in period:

- a) As per SEBI Guidelines for Preferential Issues, the shares proposed to be issued on preferential basis to the Promoters i.e., Government of India and shall be subject to a lock-in of three years from the date of trading approval.
- b) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval granted by the stock exchange.
- 14. Identity of the natural persons who are the ultimate beneficial owners of the shares proposed to be allotted and/or who ultimately control the proposed allottees, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue:

The ultimate beneficial owner of the Bank is Government of India and hence identity of natural person can not be provided.

As the entire issue is to be made to the Government of India ("GOI"), the major Shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control subsequent to the issue.

15. Undertaking that the issuer shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provision of these regulations where it is required to do so:

Since the Equity Shares of the Bank have been listed on recognized stoch exchange for a period of more than 26 weeks prior to the relevant date, the Bank is not required to re-compute the price per equity share and therefore the Bank is not required to submit the undertaking specified under Regulations 163 of the ICDR Regulations.

- 16. As all the shares are to be issued to Government of India ("GOI") the disclosures as specified in Schedule VI to the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 are not applicable.
- 17. The Bank will make an application to the stock exchanges at which its existing shares are listed, for listing of equity shares. Such equity shares, once allotted, shall rank pari-passu with the then equity shares of the Bank in all respects, including dividend.
- 18. Other Requirements

All the Shares held by the Government of India ("GOI") are in Dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of Equity Shares as specified in the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.

The Government of India ("GOI") has not sold any Equity Shares of the Bank during the 6 (six) months preceding the Relevant Date.

- (i) None of the Promoter or Directors of the Bank have been identified as a wilful defaulter.
- (ii) None of the Promoter or Directors of the Bank have been dectared as a fugitive economic offender.

Pursuant to the SEBI [Listing Obligations & Disclosure Requirements ("LODR")] Regulations, 2015 and SEBI [Issue of Capital and Disclosure Requirements ("ICDR")] Regulations, 2018, approval of the Shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution for the aforesaid Agenda.

Your Directors recommend, the Special Resolution as set out in the Notice.

None of the Directors / Key Managerial personal of the Bank / their relatives is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank

By order of the Board

(Dinabandhu Mohapatra) Managing Director & CEO

Place: Mumbai Date: 26.02.2019



प्रधान कार्यालयः स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

	यो नं. डीमेट न किया गया हो)		ग्राहक आ	डी नं. ई डी नं. ट किया गया हो)	
			ो फार्म गौर हस्ताक्षरित किया जाए)	.,	
मैं/हम		निवासी _			जित
	;	राज्य	बैंक अं		और मैं/ह
एतदद्व				राज्य	
को य	। उनके उपस्थित न होने पर श्री/श्री	मती	निवासी	जिला	
				को आयोजित की जाने वाली बैंक 3	
		माह २०१९ को हस्ताक्षरि		नेयुक्त करता हूं∕करते हैं।	
	के हस्ताक्षर				
नामः .				राजस्व स्टांप	
पताः _					
					र टस्ताथ
				71-1170-107 (1111-1114-11	
	परोक्षी	फार्म पर हस्ताक्षर करने ३	और इसे जमा करने संबं	धी अनुदेश	
1.	कोई परोक्षी लिखत तब वैध मानी	जाएगी जब वह,			
	क) एकल शेयरधारक के माम	ले में शेयरधारक द्वारा या उनके द्वा	रा लिखित में विधिवत प्राधिकृत	। अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।	
	ख) संयुक्त धारकों के मामले हस्ताक्षरित होगी।	में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेर	परधारक द्वारा या उनके द्वारा	लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत ३	अटॅर्नी द्वा
	ग) निगमित निकाय के मामले	में लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृ	त अधिकारी या अटॅर्नी द्वारा ह	स्ताक्षरित होगी।	
2.	है और उसके अंगूठे का निशान	द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित हे वहां लगा है तो वह निशान न्याय इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा र	धीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्	वश शेयरधारक अपना नाम लिखने ,ार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन् हेए।	में असम य सरका
3.	की तारीख से कम से कम चार दि हो) जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित	न पहले जमा नहीं कराया गया हो।	। उसके साथ उस पॉवर ऑफ़ 3 5 अटर्नी की प्रति या अन्य प्राप्ति	वेकार, जिसे नोटरी अथवा न्यायाधी	वा
	बैंक ऑफ़ इंडिया, शेयर विभाग, प्र	प्रधान कार्यालय, 8 वीं मंजिल, स्टा	र हाउस, सी-5, ''जी'' ब्लॉक, व	वांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई -	400 05
4.	बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी	की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अ	ांतिम होगी।	<u>.</u>	
5.	विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्र	प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले मे	हें एक से अधिक फार्म निष्पादित	। नहीं किया जाएगा।	
6.	परोक्षी की लिखत को निष्पादित व	ज्रने वाले शेयरधारक असाधारण उ	आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से	मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।	
7.	किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत कर्मचारी हो।	प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी व	के रूप में नियुक्त नहीं किया ज	ाएगा जो बैंक ऑफ इंडिया का अधिव	ठारी अथ



Head Office: Star House, C-5, 'G' Block, BandraKurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Folio No.	DP ID No.
(if not dematerialised)	Client ID No. (if dematerialised)
(To be	PROXY FORM filled in and signed by the Shareholder)
	resident of
in the state of	in the district ofbeing a shareholder/shareholders of Bank of India, hereby appoint Shri/
in the district of in the state of	of as my/our proxy to vote for me/us and on my/our findia to be held on 25 th March, 2019 and at any adjournment thereof.
Signed thisday of	Revenue Stamp Signature of first named/sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- 1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by his/her attorney, duly authorised in writing.
 - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
- 2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
- 3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than FOUR DAY before the date of the Extraordinary General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank at
 - Bank of India, Share Department Head Office, 8th Floor Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051.
- 4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting.
- 7. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank.



प्रधान कार्यालयः स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

असाधारण आम बैठक हेतु उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र

दिनांकः २५ मार्च, २०१९, समयः प्रातः ११,०० बज

बैंक ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम,स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल,

बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

HEAD OFFICE: : Star House, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.

ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date: 25th March 2019 - Time 11.00 AM

Bank of India Auditorium, Star House, 'C' 5 G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा करने हेतू)

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry)

फोलियो क्र./ग्राहक आईडी नं.	शेयरों की संख्या	उपस्थित शेयरधारक / परोक्षी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
FOLIO NO./ CLIENT ID NO.:	No. of Shares	Signature of the shareholder / proxy / Representative present

प्रवेश पत्र (पूरी बैठक के दौरान अपने पास रखा जाए)

ENTRY PASS (To be retained throughout the meeting)

फोलियो क्र./ग्राहक आईडी नं.	क्रम संख्या	शेयरों की संख्या
FOLIO NO./ CLIENT ID NO.:	SERIAL NO.	No. of Shares


बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/परोक्षियों अथवा प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र को विधिवत हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला भाग शेयरधारकों/ परोक्षियों/ प्रतिनिधियों को लौटा दिया जायेगा, जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी यदि आवश्यक समझा गया तो प्रवेश के बारे में फिर से सत्यापन/जांच की जा सकती है। किसी भी हालत में, बैठक हॉल में प्रवेश के लिए उपस्थिति पत्र की कोई दुसरी प्रति जारी नहीं की जायेगी।

Share holders/proxy holders or representatives are requested to produce this attendance slip - cum - entry pass, duly signed, for admission to the meeting hall. The entry pass portion will be handed back to the shareholders/ proxy holders/ representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip-cum-entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

पश्चलेखः बैठक के दौरान कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएँगे। / P.S. No gifts / gift coupons will be distributed at the meeting.



GUIDING MAP FOR THE MEETING VENUE



महत्वपूर्ण सूचना	IMPORTANT INFOR	IMPORTANT INFORMATION	
विवरण	Particulars	Date	
मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तारीख	Relevant Date for fixation of price	22.02.2019	
ई-वोटिंग की तारीखें	E-voting Dates	21.03.2019 to 24.03.2019	
ई-वोटिंग एजेंसी	E-voting Agency	CDSL www.evotingindia.com	
वोटिंग का परिणाम	Voting Result	26.03.2019	